



Baripada ZONE

**Information Technology Department**

Lalbazar (infront of MKC high School) Baripada, mayurbhanj-7571001

E-Mail: Baripada.IT@bankofindia.co.in

Ref. No. ZO/IT/SK/2025-26/014

Date: 13-05-2025

**NOTICE INVITING TENDER**

**Comprehensive onsite maintenance  
contract For 36 months from 01-06-2025  
to 31-05-2028 For maintenance of UPS  
installed (Aplab/Emerson(Vertiv))**

**At our various Offices/Branches in Baripada Zone**

We hereby invite sealed tenders from interested and eligible UPS Vendors to provide maintenance services for UPS along with the Batteries, of different make and model and with different capacities, installed at our Zonal Office and various branches of the Zone.

IMPORTANT INFORMATION :	
Date of Commencement of BID Document in our Website	13-05-2024
Last Date for Submission of Sealed Tender Quotations	27-05-2024 17:00 Hrs
Contact Details	Mr. Satyaki Kabiraj (7003801034)
Nature of AMC	Comprehensive
AMC Period	<b>01-06-2025 to 31-05-2028(subject to annual performance reviews. The Bank reserves the right to terminate the contract at the end of each year if the performance is deemed unsatisfactory)</b>
Date of opening of Technical Bid	27-05-2024 03.00 PM
Date of opening of Financial Bid	27-05-2024 04.00 PM
Address for Communication and submission of bid.	Bank Of India, Information Technology Department, Baripada Zone, Lalbazar (infront of MKC high School) Baripada,Mayurbhanj- 757001 E-Mail:- Baripada.IT@bankofindia.co.in
Tender Document Fees	Tender Application Form/ Documents can be downloaded from bank Of India website <a href="http://www.bankofindia.com">www.bankofindia.com</a> under the section "Tender" or can be obtained from Bank of India Information Technology Department , 1st floor, Bank Of India Building, , Baripada 757001 By paying Rs. 2000/- (DD/ Bankers Cheque to





**BANK OF INDIA, BARIPADA ZONE, INFORMATION TECHNOLOGY**

	be drawn favoring "Bank of India" payable at Baripada towards Tender Document Cost as well as Participation fees which is non-refundable irrespective of whether the tender is accepted and contract is awarded or not.
Earnest Deposit Amount	Demand Draft (DD) of Rs 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) favoring Bank of India A/C <Name of the Vendor> which will be retained for the period mentioned above for the L1 Vendor.(Only L1 vendor need to pay EMD )

**Section II: Instructions to Bidders (ITB)**

The sealed cover containing Technical Bid Envelop and Financial Bid Envelop super scribed as **"TENDER FOR MAINTENANCE OF UPS of Zonal Office and various branches of Bank of India in Baripada Zone"**, should be delivered by hand delivery / speed post / registered post / courier to **"Bank Of India, Zonal Office IT Department, Baripada Zone Bank Of India Building, Lalbazar (In front of MKC high School), Baripada - 757001"**, so as to reach on or before **27-05-2025 05.00 pm**. Any proposal / tender received after the prescribed submission time and date as mentioned above is liable to be rejected and returned to the Vendor.

**Bank of India, Baripada Zone** (hereinafter referred to as **"Bank"**) reserves the right to change the qualifying criteria at its discretion as well as to accept or reject any or all tenders submitted without assigning any reason thereof. Bank reserves the right to cancel the tender without assigning any reasons whatsoever. Bank's decision shall be final and binding in all regards.

Please also note that this is only an enquiry and without any commitment on the part of the Bank to place the order with you for any type of contract/agreement. Further details of tender if any are available with the Information Technology Department, Bank of India, Baripada Zonal Office. Interested vendors / Vendors may refer the Bank's website for the tender information.

AMC will be valid for a period of **36 months from 01-06-2025 to 31-05-2028(subject to annual performance reviews. The Bank reserves the right to terminate the contract at the end of each year if the performance is deemed unsatisfactory)**. The AMC can however be terminated prematurely at the discretion of the Bank for deficiency in services.

The rate should be quoted **"per UPS"** for one year as per the enclosed Performa.

Minimum one visit has to be made to each branch in each quarter for preventive maintenance for proper cleaning of the UPS & battery heads to avoid rusting. Every quarter, Vendor need to provide AMC report along with the digital photograph of the site under maintenance. Annual Maintenance Contract Amount shall be payable in equal quarterly installments after the completion of the respective quarter upon demand from the Vendor along with the report for each branch as mentioned above.

The quantity of UPS under AMC could be subject to variation by + or - 15%. The AMC of UPS shall be comprehensive in nature. However, replacement of batteries shall not be included in this.



**BANK OF INDIA, BARIPADA ZONE, INFORMATION TECHNOLOGY**

All the Vendors / Tenderers are expected to read and understand the terms and conditions of the Contract as detailed out in the foregoing paragraphs before furnishing their quotations. No change or violation of the aforesaid terms and conditions are permissible once quotations are accepted by this Office. Tenders without tender fee will not be considered.

After technical evaluation, Price Bids of only those Vendors will be opened who fulfill the Technical Criteria as laid down by the Bank. The Contract shall be subject to the Indian Law and the jurisdiction of the Courts in Baripada.





**Section III: Appendix to Instructions to Bidders (AITB)****ELIGIBILITY CRITERIA:**

The vendors fulfilling the following criteria are eligible to participate in the tender process.

Sr. No.	Particulars of criteria
01	The vendor should be a reputed one with service support office at Baripada.
02	The firm or the company of the Vendor should be in existence for over 5 years in the trade. The Vendor should have a previous UPS and Battery maintenance contract for at least three years with Government Departments/ Public Undertaking/Autonomous Body/Corporates, the total annual value of which should not be less than Rs. 10 lacs. AMC value should be substantiated through Work Orders issued to the Vendor.
03	The Vendor must submit minimum three satisfactory performance certificates against latest UPS AMC services contracts completed, from Government Departments/ Public Undertaking/Autonomous Body/Corporates. Without these certificates the bid will be summarily rejected.
04	The Vendor should be able to provide onsite repair and services for all models of UPS.
05	Balance Sheets and Income tax returns for the last three financial years must be attached.
06	<p>L1 Vendor shall be required to deposit an amount of Rs. 50,000/=(Rupees Fifty Thousand Only) as earnest money in the form of a demand draft drawn in favor of Bank of India A/C &lt;Name of the Vendor&gt; payable at Baripada Zonal Office. Bids not accompanied by the requisite earnest money would be rejected. The EMD is required to protect the Bank against the risk of Vendor's conduct, which would warrant the EMD's forfeiture. on the date of bid finalization.</p> <p>The EMD may be forfeited:</p> <p>a) if a Vendor withdraws his Bid after becoming L1 and not accepting the Work Order;</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>b) if a Vendor submits any statement or form which turns out to be false / incorrect at any time prior to signing of Contract;</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>c) in the case of a successful Vendor, if the Vendor fails to furnish Performance Bank Guarantee</p>
07	The successful Vendor will be required to furnish Performance Guarantee in the name of Bank of India, Baripada Zone for an amount equal to 10% of the contract value, with a claim period of six months from the date of expiry of the performance guarantee. This will be released to the vendor on successful completion of the contract.
08	The EMD will be forfeited and also the Performance Guarantee will be revoked incase the successful Vendor dishonors his bidding commitments. Further, in case of forfeiture of the EMD or forfeiture of the Bid Security along with revocation of the Bank Guarantee, the Vendor would be debarred from participating in the next 3 eligible tenders.





09	The Vendor should produce the self-attested photocopies of documents related to allocation of Registration Number, PAN Number, GSTN Certificate, Service Tax
	Number, copy of job orders pertaining to annual maintenance contract of UPS awarded in the preceding last three years.

**Section IV: General Conditions of Contract (GCC)**

The **Technical Bid** should contain the following documents as listed below to be submitted in a sealed cover written on it as "**Proposal for comprehensive AMC of UPS not to open before 27-05-2025**" addressed to the Tender Committee, Bank of India, Baripada Zonal Office.

Sr. No.	Particulars
01	Tender Document with Vendor's signature with firm's/ company's seal and name as token of having read and accepted all terms and conditions mentioned therein.
02	Proof of UPS and Battery maintenance contract for at least three years with Government Departments/ Public Undertaking/Autonomous Body/ Corporates, the total annual value of which should not be less than Rs.10 lacs. AMC value should be substantiated through Work Orders issued to the Vendor.
03	Minimum three satisfactory performance certificates against latest UPS and Battery AMC services contracts completed, from Government Departments/ Public Undertaking/Autonomous Body/Corporates.
04	Self-attested photocopies of documents related to allocation of Registration Number, PAN Number, Service Tax Registration Number, TIN, GST of the Vendor firm/company. Complete contact details like Telephone Numbers, Mobile Numbers, Fax Number, Email id, Office Address, Name of Contact Person, PAN of the Vendor firm/company, Service Tax Registration Number of the Vendor firm/company, typed on the letterhead of the Vendor firm/company and duly signed with Seal by a person competent and having power of attorney to bind the Vendor firm/company.
05	Authorization letter for the person attending the technical bid and the financial bid on behalf of the Vendor firm/company. Authorization letter must be signed by the competent person having power of attorney to sign on behalf of the Vendor firm/company.
06	Self-certified copies of KYC documents of the Signatories and Competent Authorities of the Vendor firm/company.
07	Service Support Details (Form 2) signed by the competent persons of the Vendor firm/company.
08	Balance Sheets and Income Tax Returns for the last three years
09	Tender Fee (non-refundable) of Rs.1, 000/= in the form of a Demand Draft in favor of Bank of India, payable at Baripada.
10	Earnest Deposit Amount of Rs 50,000 (Rupees Fifty Thousand Only) favoring Bank of India A/C <Name of the Vendor>

The **Financial Bid** should be submitted in a separate sealed envelope super scribed **Financial Bid for comprehensive AMC of UPS not to open before 27-05-2024** addressed to the Tender Committee, Bank of India, Baripada Zonal Office.





**Section V: Special Conditions of Contract (SCC)****NATURE OF THE CONTRACT:**

1. The said contract pertains to all types of maintenance of UPS systems installed at our branches / offices in Baripada Zone containing Balasore, Bhadrak and Mayurbhanj Districts of Odisha. Branch must be operational at any cost by providing standby UPS. Minimum one visit in each quarter has to be made to each branch for preventive maintenance and proper cleaning of the battery heads to avoid rusting. **Every quarter, Vendor need to provide AMC report along with the digital photograph of the site under maintenance.**
2. The tentative list of branches where these UPS are presently installed along with capacity of the UPS are enclosed as per **Annexure-I.**
3. The branch wise list of UPS provided with this tender document is tentative and vendor should deploy their service engineers to all the branches of our zone as per details provided in Annexure-I to list out all the available UPS and any additions/deletions/modifications shall be intimated to us immediately so that the master data of all the branches can be properly updated at our end and share the same with the vendor to avoid issues like UPS mismatch/ UPS not found/ UPS not in use etc.
4. The location, capacity and the make of the UPSs may change/vary. Bank may cut down number of UPS from the above list. With mutual consent Bank may add to the above list of UPS Bank reserves the right to shift any of the UPS to any other place/branch as per the requirement of the Bank during the contract time and the Vendors should provide continued maintenance service irrespective of these changes at the same agreed rates. Initially the maintenance contract will be for 1 year which may be renewed further.

**TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT:** The broad terms and conditions of the said Annual Maintenance Contract are as under.

1. AMC pertains to the maintenance of the UPS systems and providing spares required for repairs. Spare parts include all parts that find part of the UPS system and will not include all external electrical cables, batteries, power transformers etc.. The Vendors, at their own cost, will be responsible for supply of all parts that may need replacement and for replacement of parts that are defective in the UPS equipment. The Vendors may take back the replaced parts if the new parts are of equal quality and value in comparison with the old parts with a separate consent of the Bank.
2. It is the responsibility and obligation of the vendor to provide immediate services in case of UPS breakdowns. **The branches/offices of the Bank reserve the right to get the UPS repaired under the AMC by outside parties, if the Vendor fails to provide services within one day (24 hours) of complaint. The Bank may claim compensation for this from the Vendors @1000/day.** The Vendor is liable to provide continued services even if the Bank uses third parties for repair work of the UPSs mentioned under the AMC. **If any of the UPS under the contract is unattended for a period of more than two days after receiving complaint (telephonic call or written) by the Vendor a sum of Rs. 1000/-per day is liable to be deducted from the Vendor's AMC amount.**





**Section VI: Schedule of Requirements**

3. All the maintenance services shall be provided within the AMC amount agreed upon at the time of awarding AMC. The Vendor shall provide stand by UPS facility in case of delay in repair to the existing UPS systems. The Vendor shall always try to repair the UPS at the installed site only. In extreme cases only they are allowed to shift outside for repairs. Vendor shall be responsible and bear all the costs involving in shifting of UPS in case repairing requires shifting of the UPSs to other places. Where the Vendor is required to transport the said UPSs to any destination (branches and offices of Bank of India, repairing shop and to the place of the Vendor for repair), all costs including insurance, storage and transportation and related costs including damages shall be borne/arranged by the Vendor and all these costs are deemed to be included in the AMC price/amount. If immediate rectification/repair cannot be done, Vendor should provide stand by UPS system before shifting the UPS system from the branch.
4. The location as well as the make of the UPS may change/vary. Bank reserves the right to shift any of the UPSs to any other place as per the requirement of the Bank during the contract time and the Vendors should provide continued maintenance service irrespective of these changes. With mutual consent Bank may add to the above list of UPS if the service provided is satisfactory.
5. The Vendors shall not assign in whole or part, its obligations to perform under the Contract, except with the Bank's prior written consent.
6. Selected vendor should always station minimum 4 spare UPS systems as stand by support in the Zone.
7. Minimum one visit has to be made to each branch in each quarter for preventive maintenance for proper cleaning of the battery heads to avoid rusting. Every quarter, Vendor need to provide AMC report along with the digital photograph of the site under maintenance. Annual Maintenance Contract Amount shall be payable in equal quarterly installments after the completion of the respective quarter upon demand from the Vendor along with the report for each branch as mentioned above.
8. At the termination of the Contract, the Vendor shall submit written reports from each branch that the UPSs under the AMC are in working, usable and satisfactory condition before claiming payment of AMC amount.
9. The agreed upon AMC Amount at the time of awarding AMC to the selected Vendors, shall be firm and fixed and not subject to adjustment during performance of the Contract and during Contract period irrespective of reasons whatsoever, including exchange rate fluctuations and/ or due to any type of escalations in prices. The contracted AMC amount is payable to the Vendor for the full and proper performance of the contractual obligations. No escalation in AMC amount (due to increase in costs expenses etc.) is allowed. Vendors should bear the sole responsibility in this regard. The Bidders/Vendors are requested to quote the amount which is exclusive of all taxes. Specify the taxes applicable separately in table provided in FORM- 1. No other Taxes, Expenses and Charges are payable. Tender shall be finalized on the basis of amount quoted exclusive of taxes.

The Vendor/Supplier cannot award sub-contracts to others under the said AMC. If at all the situation warrants, the Supplier/Vendor shall notify the Bank in writing of all subcontracts awarded under the Contract. Such notification shall not relieve the





Supplier/Vendor from any liability and/ or obligation under the AMC. Sub-contract shall only be for bought-out items and sub-assemblies. Sub-contracts must comply with the provisions of the Terms of AMC. Free maintenance services, including preventive maintenance services shall be provided by the Vendor during the period of the said AMC. In all cases, Vendors will be solely responsible for receiving and attending the calls from our branches and offices.

**Section VII: Technical Specifications and Quality Assurance**

10. The Vendor is responsible for and obliged to conduct all contracted activities in accordance with the contract using state-of-the-art methods and economic principles and exercising all means available to achieve the performance specified in the Contract. The Vendor is obliged to work closely with the Bank's staff, act within its own authority and abide by directives issued by the Bank and implementation activities. The Vendor will abide by the job safety measures prevalent in India and will free the Bank from all demands and/ or responsibilities arising from accidents or loss of life, the cause of which is the performance of the AMC. The Vendor will pay all indemnities arising from such incidents and will not hold the Bank responsible or obliged. The Vendor is responsible for managing the activities of its personnel or sub-contracted personnel and will hold itself responsible for any misdemeanors. The Vendor will treat as confidential all data and information about the Bank, obtained in the execution of his responsibilities, in strict confidence and will not reveal such information to any other party without the prior written approval of the Bank.

11. The AMC may be terminated with a notice of at least one month time by the bank and the AMC amount/ price will be paid pro rata for the period of the existence of the Contract. Further, Bank may, at any time, terminate the Contract by giving written notice to the Vendor if the Vendor becomes bankrupt or otherwise insolvent and not providing agreed upon maintenance services under the AMC. In this event termination will be without compensation to the Vendor, provided that such termination will not prejudice or affect any right of action or remedy which has accrued or will accrue thereafter to the Bank.

12. Notwithstanding the provision of the Terms and Conditions of the Contract, the Vendors shall not be liable for liquidated damages, termination for default to the extent that its delay in performance or other failure to perform their obligations under the Contract is the result of an event beyond the control of the Vendors and not involving the Vendors fault or negligence and not foreseeable. Such event may include, but are not restricted to, acts of the Bank in its sovereign capacity, wars or revolutions, floods, epidemics, quarantine restrictions. In case of these unforeseen events/circumstances, the Vendor shall promptly notify the Bank in writing of such condition and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Bank in writing, the Vendor shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the above mentioned unforeseen events.

13. Each offer should specify only a single solution, which is cost-effective and meets the tender specifications and should not include alternatives. The price quoted must be inclusive of all charges and costs, with taxes mentioned separately thereunder. Bid shall be finalized on the basis of price quoted exclusive of taxes. The accepted price will be





**BANK OF INDIA, BARIPADA ZONE, INFORMATION TECHNOLOGY**

valid for one year from the date of award of the Contract (AMC). Bank may at its discretion and as per the need select one or two quotes from the Vendors, say - can accept the 2KVA bid from some Vendor and 3 KVA bid from some other Vendor and/or can accept one make UPS including batteries attached thereto from one Vendor and another make UPS including batteries attached thereto from some other Vendor and/ or the bank reserves the right to award the AMC to any single vendor if it finds that overall quoted rates(summarized) for all types of UPSs is low and is economical for the bank. The Bank may, at its discretion, award the Annual Maintenance Contract to the short• listed vendors depending upon the Bid Price, Past Experience, and Reputation of the Vendors. Bank reserves the right to cancel the tender without assigning any reasons whatsoever.

14. The Contract shall be interpreted in accordance with the laws of the Union of India and Bidder shall agree to submit to the courts under whose exclusive jurisdiction the Bank's Baripada Zonal office falls. The governing language shall be English.

15. All the signatories representing the Vendors/Bidders shall invariably fulfil KYC norms. They should submit all KYC forms such as Passport size Photograph, Identity Card (PAN Card/Voter Id/ Driving License) and Latest Address Proof.

16. Bidders Quotation/Bid/Proposal should be in conformity with the conditions mentioned herein above. By Proposing and Presenting the Price Quotation/Bid for the Tender for AMC of UPSs and Batteries, the Vendors are agreeing to all the Terms and Conditions of the Contract and to the above mentioned.

Bidder's Signature with Seal and Name

(As token of having read and accepted the Terms & Conditions)





**Penalties for deficiency in Service-**

Particulars
If the Vendor fails to provide services within one day (24 hours) of complaint. The Bank may claim compensation for this from the <b>Vendors @1000/day</b>
If any of the UPS under the contract is unattended for a period of more than two days after receiving complaint (telephonic call or written) by the Vendor a sum of Rs. <b>1000/-per day</b> is liable to be deducted from the Vendor's AMC amount
Every day by <b>10.00 am</b> call-coordinator has to convey by e-mail to Zonal Office I T Department the visit schedule of all engineers. If the same is not done, then penalty of Rs <b>400/-</b> per day of default will be levied.
UPS engineer has to send scanned copy of all call report for the day on same day to Zonal Office I T Department, if he/she fails to do, then penalty of Rs <b>400/-</b> per day per engineer will be levied.
In the event of leave /absence of the engineer posted at our site, the vendor should arrange for suitable replacement on the same day. In case, the vendor fails to do so, then penalty of <b>Rs 500/-</b> per day per engineer will be levied.
The call Co-coordinator has to maintain record of call report in excel file till previous working day and communicate the same to Zonal Office, I T department by e-mail on daily basis. If he/she fails to do then penalty of <b>Rs 100/-</b> per day will be levied.
A call Id has to be created for each call logged. Summary of each call logged in the day has to be reported by call coordinator to the zonal IT department. A penalty of <b>Rs100/-per call</b> will be levied if call ID is not generated.

**12. TERMINATION OF THIS AGREEMENT:**

Either party may terminate the contract:

- By giving one month's notice in writing.
- If there is a breach of any terms or non-performance.
- In case of insolvency or liquidation of either party.
- If the Vendor is found blacklisted by any PSU or Government body.
- If service levels fall below expectations on multiple occasions.

In the event of Vendor backing out after award:

- EMD will be forfeited
- Vendor will be blacklisted from future contracts with the Bank.





PROPOSAL FORM (Price  
Bid/Quotation) FORM-1

The

Zonal Manager  
Bank of India,  
Zonal Office  
Baripada.

Sirs

**Ref: Proposal for Tender Bid for AMC of UPS installed at Offices/Branches in Baripada Zone**

Having examined your Tender Notice and Documents, the receipt of which is hereby duly acknowledged, we, the undersigned, offer to provide Annual Maintenance Services to your Uninterrupted Power Supply Systems, in conformity with the said Tender Documents for the under mentioned sum of amounts or such other sum as may be ascertained in accordance with the tender process, with respect to the Annual Maintenance Contract for the maintenance of ups installed at Zonal Office and various offices of your bank in Baripada Zone.

Sr No	UPS Make	Capacity (kva)	Quantity	AMC Rate per unit	GST	Total AMC Amount
1	APLAB	3	17			
2	APLAB	5	15			
3	EMERSON/VERTIV	3	58			
4	EMERSON/VERTIV	6	5			
5	EMERSON/VERTIV	10	1			
	<b>TOTAL</b>		<b>96</b>			

We undertake, if our proposal is accepted, to provide uninterrupted maintenance services in accordance with your Tender Documents. We agree to abide by the Proposal and the rates quoted therein for the orders awarded by the Bank. Until a formal contract is prepared and executed, this Proposal, together with your written acceptance thereof and your notification of award, shall constitute a binding contract between us.

We undertake that, in competing for (and, if the award is made to us, in executing) the above contract, we will strictly observe the laws against fraud and corruption in force in India namely "Prevention of Corruption Act 1988".

We understand that you are not bound to accept the Lowest or any Proposal you may receive.

Dated this ..... day ..... 2025.

(Signature and Seal) (In the Capacity of) Duly authorized to sign

Proposal/Bid for and on behalf of

..... Contact Nos:

.....

..... Please compulsorily attach the KYC forms of the Signatories and Competent Authorities of the Vendor Firms/Companies. (KYC Forms- Photo- PAN Card/Aadhar Card/ Voter Id/ Latest Address Proof)





SERVICE SUPPORT DETAILS

FORM-2

To  
The Zonal Manager  
Bank of India  
Zonal Office  
Baripada Zone.

Sirs,

**Ref: Proposal for Tender Bid for AMC of UPS installed at Offices/Branches in Baripada Zone**

The service support details are as follows:

Location	Name of the Engineer	Address of service support office with Telephone No's	Whether own branch or franchise	No. of Administrative Staff placed at the location	Details and Value of minimum stock of spares available at all times at the location

Yours Faithfully,

Name of the Signatory:

Name of the Vendors/Firm/Co/Manufacturers:      Contact Nos: .....

Please compulsorily attach the KYC forms of the Signatories and Competent Authorities of the Vendor Firms/Companies. (KYC Forms - Photo - PAN Card/Aadhar Card/ Latest/Address Proof)





## Annexure – I

Branches under Baripada Zone as below.

SL NO	Branch	District	SL NO	Branch	District
1	AKHUAPADA	Bhadrak	37	KADABARANG	Bhadrak
2	ANLA	Mayurbhanj	38	KALAMA	Mayurbhanj
3	BACHHURIPAL	Mayurbhanj	39	KAPTIPADA	Mayurbhanj
4	BADA DALIMA	Mayurbhanj	40	KARANJIA	Mayurbhanj
5	BADABRAMHANMARA	Mayurbhanj	41	KHUNTA	Mayurbhanj
6	BADAMPAHAR	Mayurbhanj	42	KOSTHA	Mayurbhanj
7	BAHALDA	Mayurbhanj	43	KRUSHNACHANDRAPUR	Mayurbhanj
8	BAISINGA	Mayurbhanj	44	KULIANA	Mayurbhanj
9	BALASORE	Balasore	45	MANATRI	Mayurbhanj
10	BALIAPAL	Balasore	46	MURGABADI	Mayurbhanj
11	BANGRIPOSI	Mayurbhanj	47	NORTH ORISSA UNIVERSITY	Mayurbhanj
12	BARIPADA	Mayurbhanj	48	NUAGAN	Mayurbhanj
13	BARSAHI	Mayurbhanj	49	PADHIA	Mayurbhanj
14	BASTA	Balasore	50	PODA ASTIA	Mayurbhanj
15	BETNOTI	Mayurbhanj	51	PURUNA BARIPADA	Mayurbhanj
16	BHADRAK	Bhadrak	52	RAIRANGPUR	Mayurbhanj
17	BIJATALA	Mayurbhanj	53	RANDIA	Bhadrak
18	BISOI	Mayurbhanj	54	RANGAMATIA	Mayurbhanj
19	BRUNDABANCHANDRAPUR	Mayurbhanj	55	RARUAN	Mayurbhanj
20	CHATANI	Mayurbhanj	56	REMUNA	Balasore
21	CHINCHALGADIA	Mayurbhanj	57	SIMILIPAL	Mayurbhanj
22	CHITRADA	Mayurbhanj	58	SIPS CAMPUS	Mayurbhanj
27	DAULATPUR	Bhadrak	59	SIRSA	Mayurbhanj
24	DHAMARA	Bhadrak	60	SORO	Balasore
25	DIGHI	Mayurbhanj	61	STATION BAZAR(BARIPADA)	Mayurbhanj
26	DUKURA	Mayurbhanj	62	SUKRULI	Mayurbhanj
27	GANESWARPUR(JANUGANJ)	Balasore	63	SULIAPADA	Mayurbhanj
28	GORUMAHISANI	Mayurbhanj	64	TAMBAKHURI	Mayurbhanj
29	ICHINDA	Mayurbhanj	65	THAKURMUNDA	Mayurbhanj
30	ITI CHOWK	Balasore	66	TURIGADIA	Balasore
31	JALESWAR	Balasore	67	UDALA	Mayurbhanj
32	JAMDA	Mayurbhanj	68	Nilagiri	Balasore
33	JAMSOLA	Mayurbhanj	69	Bhograi	Balasore
34	JASHIPUR	Mayurbhanj	70	Basudevpur	Bhadrak
35	JHARIA(KEONJHAR)	Mayurbhanj	71	ZONAL OFFICE	Mayurbhanj
36	JHINKIRIA	Mayurbhanj	72	Smeuc Balasore	Balasore





**Our Zone covers the below 3 Districts: -**

01.Balasore

02.Mayurbhanj

03.Bhadrak

Before Participating Check for the Manpower for the above location so that banking Service should not be Hampered.





बैंक ऑफ़ इंडिया  
Bank of India



बारपदा अंचल  
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
लालबाजार (एमकेसी हाई स्कूल के सामने)  
बारीपदा, मयूरभंज-7571001  
ई-मेल: Baripada.IT@bankofindia.co.in

संदर्भ संख्या ZO/IT/SK/2025-26/014

दिनांक: 13-05-2025

**निविदा आमंत्रण सूचना**  
**बारपदा क्षेत्र में हमारे विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं में**  
**स्थापित यूपीएस (एपलैब/एमर्सन(वर्टिव)) के रखरखाव**  
**के लिए 01-06-2025 से 31-05-2028 तक 36 महीने**  
**के लिए व्यापक ऑनसाइट रखरखाव अनुबंध**

हम अपने आंचलिक कार्यालय और अंचल की विभिन्न शाखाओं में स्थापित विभिन्न निर्मित और आधुनिक तथा विभिन्न क्षमताओं वाली बैटरियों के साथ-साथ यूपीएस के लिए रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक और पात्र यूपीएस विक्रेताओं से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करते हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी: हमारी वेबसाइट पर बोली दस्तावेज़ शुरू होने की तिथि	13-05-2024
सीलबंद निविदा कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि	27-05-2024 17:00 घंटे
सम्पर्क करने का विवरण	श्री सात्यकी कबिराज (7003801034)
एएमसी की प्रकृति	विस्तृत
एएमसी अवधि	01-06-2025 से 31-05-2028 तक (वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के अधीन। यदि प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है तो बैंक प्रत्येक वर्ष के अंत में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है)
तकनीकी बोली के शुभारंभ की तिथि	27-05-2024 दोपहर-03.00 बजे
वित्तीय बोली के शुभारंभ की तिथि	27-05-2024 दोपहर 04.00 बजे
संपर्क और बोली प्रस्तुत करने का पता।	बैंक ऑफ़ इंडिया, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बारपदा अंचल, लालबाजार (एमकेसी हाई स्कूल के सामने) बारीपदा, मयूरभंज-757001 ई-मेल:- Baripada.IT@bankofindia.co.in
निविदा दस्तावेज़ शुल्क	निविदा आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज़ बैंक ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट <a href="http://www.bankofindia.com">www.bankofindia.com</a> से "निविदा" अनुभाग के अंतर्गत डाउनलोड किए जा सकते हैं या बैंक ऑफ़ इंडिया सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रथम तल, बैंक ऑफ़ इंडिया बिल्डिंग,





	बारीपदा 757001 से प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा दस्तावेज लागत के साथ-साथ भागीदारी शुल्क के लिए 2000/- रुपये (डीडी/बैंकर्स चेक जो "बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में बारीपदा में देय हो) का भुगतान करके, जो निविदा स्वीकार किए जाने और अनुबंध दिए जाने या न दिए जाने पर भी वापस नहीं किया जाएगा।
बयाना जमा राशि	बैंक ऑफ इंडिया ए/सी <विक्रेता का नाम> के पक्ष में 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जो एल 1 विक्रेता के लिए ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए रखा जाएगा। (केवल एल 1 विक्रेता को ईएमडी का भुगतान करना होगा)

## **खंड II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी)**

तकनीकी बोली लिफाफा और वित्तीय बोली लिफाफा युक्त सीलबंद लिफाफा, जिस पर "बारीपदा अंचल में बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय और विभिन्न शाखाओं के यूपीएस के रखरखाव के लिए निविदा" लिखा हो, को हाथ से डिलीवरी / स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक / कूरियर द्वारा "बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय आईटी विभाग, बारीपदा अंचल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, लालबाजार (एमकेसी हाई स्कूल के सामने), बारीपदा - 757001" पर इस तरह पहुंचाया जाना चाहिए कि यह 27-05-2025 शाम 05.00 बजे या उससे पहले पहुंच जाए। ऊपर बताए गए निर्धारित जमा करने के समय और तारीख के बाद प्राप्त कोई भी प्रस्ताव / निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी और विक्रेता को वापस कर दी जाएगी।

बैंक ऑफ इंडिया, बारीपदा अंचल (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) अपने विवेक पर योग्यता मानदंडों को बदलने के साथ-साथ बिना कोई कारण बताए प्रस्तुत की गई किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक का निर्णय सभी मामलों में अंतिम और बाध्यकारी होगा।

कृपया यह भी ध्यान रखें कि यह केवल एक पूछताछ है और बैंक की ओर से किसी भी प्रकार के अनुबंध/समझौते के लिए आपको ऑर्डर देने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। निविदा के बारे में अधिक जानकारी यदि कोई हो तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बैंक ऑफ इंडिया, बारीपदा क्षेत्रीय कार्यालय के पास उपलब्ध है। इच्छुक विक्रेता/विक्रेता निविदा जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट देख सकते हैं।

एएमसी 01-06-2025 से 31-05-2028 तक 36 महीने की अवधि के लिए वैध होगी (वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के अधीन। यदि प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है तो बैंक प्रत्येक वर्ष के अंत में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है)। हालांकि, सेवाओं में कमी के लिए बैंक के विवेक पर एएमसी को समय से पहले समाप्त किया जा सकता है।

संलग्न परफॉर्म के अनुसार एक वर्ष के लिए दर "प्रति यूपीएस" उद्धृत की जानी चाहिए।

जंग लगने से बचने के लिए यूपीएस और बैटरी हेड की उचित सफाई के लिए निवारक रखरखाव के लिए प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक शाखा में कम से कम एक बार जाना होगा। हर तिमाही में, विक्रेता को रखरखाव के तहत साइट की डिजिटल तस्वीर के साथ एएमसी रिपोर्ट प्रदान करनी होगी। वार्षिक रखरखाव अनुबंध राशि विक्रेता की मांग पर संबंधित तिमाही के पूरा होने के बाद समान तिमाही किशतों में देय होगी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

एएमसी के बहुत यूपीएस की मात्रा + या - 15% तक भिन्न हो सकती है। यूपीएस की एएमसी व्यापक प्रकृति की होगी।





हालांकि, बैटरी के प्रतिस्थापन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

सभी विक्रेताओं/निविदाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कोटेशन प्रस्तुत करने से पहले अनुबंध के नियमों और शर्तों को पढ़ें और समझें, जैसा कि पूर्वगामी पैराग्राफ में विस्तृत रूप से बताया गया है। इस कार्यालय द्वारा कोटेशन स्वीकार किए जाने के बाद उपरोक्त नियमों और शर्तों में कोई बदलाव या उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। बिना टेंडर शुल्क के टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।

तकनीकी मूल्यांकन के बाद, केवल उन विक्रेताओं की मूल्य बोलियाँ खोली जाएँगी जो बैंक द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदंडों को पूरा करते हैं। अनुबंध भारतीय कानून और बारीपदा में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।



### खंड III: बोलीदाताओं के लिए अनुदेशों का परिशिष्ट (एआईटीबी)

#### पात्रता मानदंड:

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले विक्रेता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

क्रमांक	मानदंड का विवरण
01	विक्रेता प्रतीष्ठित होना चाहिए जिसका सेवा सहायता कार्यालय बारीपदा में हो।
02	विक्रेता की फर्म या कंपनी में 5 वर्ष से अधिक समय तक व्यापार करना चाहिए। विक्रेताओं के पास सरकारी स्वामित्व/सार्वजनिक निगमों/स्वयं निगमों/निगमों के साथ कम से कम तीन साल का बिजनेस और बैटरी व्यवसाय अनुबंध होना चाहिए, जिसका कुल वार्षिक मूल्य 10 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए। विक्रेता को जारी किए गए कार्य स्टॉक स्टॉक एएमसी मूल्य की पुष्टि की जानी चाहिए।
03	विक्रेता को सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/कॉर्पोरेंटों से नवीनतम यूपीएस एएमसी सेवा अनुबंधों के लिए कम से कम तीन संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। इन प्रमाणपत्रों के बिना बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
04	विक्रेता को यूपीएस के सभी मॉडलों के लिए ऑनसाइट मरम्मत और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।
05	पिछले तीन वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट और आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
06	एल1 विक्रेता को 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) की राशि बैंक ऑफ इंडिया ए/सी <विक्रेता का नाम> के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बयाना राशि के रूप में जमा करानी होगी, जो बारीपदा आंचलिक कार्यालय में देय होगी। अपेक्षित बयाना राशि के बिना बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। विक्रेता के आचरण के जोखिम के खिलाफ बैंक को बचाने के लिए ईएमडी की आवश्यकता होती है, जो बोली को अंतिम रूप देने की तिथि से ईएमडी को जब्त करने का वारंट होगा। ईएमडी जब्त की जा सकती है: क) यदि विक्रेता एल1 बनने के बाद अपनी बोली वापस ले लेता है और कार्य आदेश स्वीकार नहीं करता है; या ख) यदि विक्रेता कोई ऐसा कथन या फॉर्म प्रस्तुत करता है जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय गलत/गलत निकलता है; या ग) सफल विक्रेता के मामले में, यदि विक्रेता प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है
07	सफल विक्रेता को बैंक ऑफ इंडिया, बारीपदा जोन के नाम पर अनुबंध मूल्य के 10% के बराबर राशि के लिए प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें प्रदर्शन गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने की दावा अवधि होगी। अनुबंध के सफल समापन पर इसे विक्रेता को जारी किया जाएगा।
08	यदि सफल विक्रेता अपनी बोली प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता है तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और प्रदर्शन गारंटी भी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, ईएमडी जब्त होने या बोली सुरक्षा जब्त होने के साथ-साथ बैंक गारंटी रद्द होने की स्थिति में, विक्रेता को अगले 3 पात्र निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।





09	विक्रेता को पंजीकरण संख्या, पैन नंबर, जीएसटीएन प्रमाणपत्र, सेवा कर के आवंटन से संबंधित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी।
	पिछले तीन वर्षों में दिए गए यूपीएस के वार्षिक रखरखाव अनुबंध से संबंधित कार्य आदेशों की संख्या, प्रतिलिपि।

#### खंड IV: अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

तकनीकी बोली में नीचे सूचीबद्ध निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए, जिन्हें एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिस पर "यूपीएस के व्यापक एएमसी के लिए प्रस्ताव 27-05-2025 से पहले नहीं खोला जाना चाहिए" लिखा होना चाहिए, जो निविदा समिति, बैंक ऑफ इंडिया, बारीपदा क्षेत्रीय कार्यालय को संबोधित होना चाहिए।

क्रमांक	विवरण
01	फर्म/कंपनी की मुहर और नाम के साथ विक्रेता के हस्ताक्षर सहित निविदा दस्तावेज, इसमें उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ने और स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में।
02	सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/कॉर्पोरेटों के साथ कम से कम तीन वर्षों के लिए यूपीएस और बैटरी रखरखाव अनुबंध का प्रमाण, जिसका कुल वार्षिक मूल्य 10 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए। विक्रेता को जारी किए गए कार्य आदेशों के माध्यम से एएमसी मूल्य की पुष्टि की जानी चाहिए।
03	सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/कॉर्पोरेटों से नवीनतम यूपीएस और बैटरी एएमसी सेवा अनुबंधों के संबंध में न्यूनतम तीन संतोषजनक निष्पादन प्रमाणपत्र।
04	विक्रेता फर्म/कंपनी के पंजीकरण संख्या, पैन नंबर, सेवा कर पंजीकरण संख्या, टीआईएन, जीएसटी के आवंटन से संबंधित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी। पूर्ण संपर्क विवरण जैसे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, कार्यालय का पता, संपर्क व्यक्ति का नाम, विक्रेता फर्म/कंपनी का पैन, विक्रेता फर्म/कंपनी का सेवा कर पंजीकरण संख्या, विक्रेता फर्म/कंपनी के लेटरहेड पर टाइप किया गया और विक्रेता फर्म/कंपनी को बाध्य करने के लिए सक्षम और पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित।
05	विक्रेता फर्म/कंपनी की ओर से तकनीकी बोली और वित्तीय बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिए प्राधिकरण पत्र। प्राधिकरण पत्र पर विक्रेता फर्म/कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
06	विक्रेता फर्म/कंपनी के हस्ताक्षरकर्ताओं और सक्षम प्राधिकारियों के केवाईसी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां।
07	विक्रेता फर्म/कंपनी के सक्षम व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित सेवा समर्थन विवरण (फॉर्म 2)।
08	पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट और आयकर रिटर्न
09	निविदा शुल्क (वापसी न होने वाला) रु. 1,000/- बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, बारीपदा में देय।
10	बयाना जमा राशि 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) बैंक ऑफ इंडिया खाता <विक्रेता का नाम> के पक्ष में

वित्तीय बोली को एक अलग सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिस पर "यूपीएस की व्यापक एएमसी के लिए वित्तीय बोली 27-05-2024 से पहले नहीं खोली जाएगी" लिखा होना चाहिए, जो निविदा समिति, बैंक ऑफ इंडिया, बारीपदा आंचलिक कार्यालय को संबोधित हो।





खंड v: अनुबंध की विशेष शर्तें (एससीसी)

### अनुबंध की प्रकृति:

1. उक्त अनुबंध ओडिशा के बालेश्वर, भद्रक और मयूरभंज जिलों वाले बारिपदा अंचल में हमारी शाखाओं/कार्यालयों में स्थापित यूपीएस सिस्टम के सभी प्रकार के रखरखाव से संबंधित है। शाखा को स्टैंडबाय यूपीएस प्रदान करके किसी भी कीमत पर चालू रहना चाहिए। प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार निवारक रखरखाव और जंग से बचने के लिए बैटरी हेड की उचित सफाई के लिए प्रत्येक शाखा का दौरा करना होगा। हर तिमाही में, विक्रेता को रखरखाव के तहत साइट की डिजिटल तस्वीर के साथ एएमसी रिपोर्ट प्रदान करनी होगी।
2. उन शाखाओं की संभावित सूची जहां ये यूपीएस वर्तमान में स्थापित हैं, यूपीएस की क्षमता के साथ अनुलग्नक-1 के अनुसार संलग्न हैं।
3. इस निविदा दस्तावेज के साथ प्रदान की गई यूपीएस की शाखावार सूची अनंतिम है और विक्रेता को सभी उपलब्ध यूपीएस को सूचीबद्ध करने के लिए अनुलग्नक-1 में दिए गए विवरण के अनुसार हमारे क्षेत्र की सभी शाखाओं में अपने सेवा इंजीनियरों को तैनात करना चाहिए और किसी भी अतिरिक्त/हटाने/संशोधन के बारे में हमें तुरंत सूचित करना चाहिए ताकि सभी शाखाओं का मास्टर डेटा हमारे अंत में ठीक से अपडेट किया जा सके और यूपीएस मिसमैच/यूपीएस नहीं मिलने/यूपीएस उपयोग में नहीं होने आदि जैसी समस्याओं से बचने के लिए विक्रेता के साथ साझा किया जा सके।
4. यूपीएस का स्थान, क्षमता और निर्माण बदल सकता है/भिन्न हो सकता है। बैंक उपरोक्त सूची से यूपीएस की संख्या कम कर सकता है। आपसी सहमति से बैंक यूपीएस की उपरोक्त सूची में जोड़ सकता है। बैंक अनुबंध अवधि के दौरान बैंक की आवश्यकता के अनुसार किसी भी यूपीएस को किसी अन्य स्थान/शाखा में स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और विक्रेताओं को इन परिवर्तनों के बावजूद उसी सहमत दरों पर निरंतर रखरखाव सेवा प्रदान करनी चाहिए। प्रारंभ में रखरखाव अनुबंध 1 वर्ष के लिए होगा जिसे आगे नवीनीकृत किया जा सकता है।

### अनुबंध की शर्तें और नियम:

उक्त वार्षिक रखरखाव अनुबंध की व्यापक शर्तें और नियम निम्नानुसार हैं।

1. ए.एम.सी. यू.पी.एस. प्रणाली के रखरखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक पुर्जों उपलब्ध कराने से संबंधित है। पुर्जों में वे सभी पुर्जे शामिल हैं जो यू.पी.एस. प्रणाली का हिस्सा हैं और इसमें सभी बाहरी विद्युत केबल, बैटरी, बिजली ट्रांसफार्मर आदि शामिल नहीं होंगे। विक्रेता, अपनी लागत पर, उन सभी पुर्जों की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होंगे जिन्हें बदलने की आवश्यकता हो सकती है और यू.पी.एस. उपकरण में दोषपूर्ण पुर्जों को बदलने के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि नए पुर्जे पुराने पुर्जों की तुलना में समान गुणवत्ता और मूल्य के हैं तो विक्रेता बैंक की अलग सहमति से बदले गए पुर्जे वापस ले सकते हैं।
2. यू.पी.एस. खराब होने की स्थिति में तत्काल सेवाएं प्रदान करना विक्रेता की जिम्मेदारी और दायित्व है। यदि विक्रेता शिकायत के एक दिन (24 घंटे) के भीतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक की शाखाएं/कार्यालय ए.एम.सी. के तहत बाहरी पार्टियों द्वारा यू.पी.एस. की मरम्मत करवाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। बैंक इसके लिए विक्रेताओं से 1000/दिन की दर से मुआवज़ा मांग सकता है। यदि बैंक ए.एम.सी. के अंतर्गत उल्लिखित यू.पी.एस. की मरम्मत के लिए तीसरे पक्ष का उपयोग करता है, तो भी विक्रेता निरंतर सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यदि अनुबंध के अंतर्गत





कोई भी यू.पी.एस. विक्रेता द्वारा शिकायत (टेलीफोनिक कॉल या लिखित) प्राप्त करने के बाद दो दिनों से अधिक की अवधि के लिए अनुपयोगी रहता है, तो विक्रेता की ए.एम.सी. राशि से 1000/- रुपये प्रतिदिन की राशि काटी जा सकती है।

#### **धारा VI: आवश्यकताओं की अनुसूची**

3. सभी रखरखाव सेवाएँ AMC प्रदान करते समय सहमत AMC राशि के भीतर प्रदान की जाएँगी। मौजूदा UPS सिस्टम की मरम्मत में देरी होने की स्थिति में विक्रेता स्टैंड बाय UPS सुविधा प्रदान करेगा। विक्रेता हमेशा UPS को स्थापित साइट पर ही मरम्मत करने का प्रयास करेगा। केवल चरम मामलों में ही उन्हें मरम्मत के लिए बाहर जाने की अनुमति दी जाती है। यदि मरम्मत के लिए UPS को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करना आवश्यक हो तो विक्रेता UPS को स्थानांतरित करने में शामिल सभी लागतों के लिए जिम्मेदार होगा और उसे वहन करेगा। जहाँ विक्रेता को उक्त UPS को किसी गंतव्य (बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएँ और कार्यालय, मरम्मत की दुकान और मरम्मत के लिए विक्रेता के स्थान) पर ले जाने की आवश्यकता होती है, बीमा, भंडारण और परिवहन सहित सभी लागतें और क्षति सहित संबंधित लागतें विक्रेता द्वारा वहन/व्यवस्थित की जाएँगी और ये सभी लागतें AMC मूल्य/राशि में शामिल मानी जाएँगी। यदि तत्काल सुधार/मरम्मत नहीं की जा सकती है, तो विक्रेता को शाखा से UPS सिस्टम को स्थानांतरित करने से पहले स्टैंड बाय UPS सिस्टम प्रदान करना चाहिए।

4. यूपीएस का स्थान और निर्माण बदल सकता है। बैंक अनुबंध अवधि के दौरान बैंक की आवश्यकता के अनुसार किसी भी यूपीएस को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और विक्रेताओं को इन परिवर्तनों के बावजूद निरंतर रखरखाव सेवा प्रदान करनी चाहिए। आपसी सहमति से बैंक उपरोक्त यूपीएस की सूची में जोड़ सकता है यदि प्रदान की गई सेवा संतोषजनक है।

5. विक्रेता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध के तहत प्रदर्शन करने के अपने दायित्वों को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी और को नहीं सौंपेंगे।

6. चयनित विक्रेता को हमेशा अंचल में स्टैंड बाय सपोर्ट के रूप में कम से कम 4 अतिरिक्त यूपीएस सिस्टम रखना चाहिए।

7. जंग लगने से बचने के लिए बैटरी हेड की उचित सफाई के लिए निवारक रखरखाव के लिए प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक शाखा में कम से कम एक बार जाना होगा। प्रत्येक तिमाही में, विक्रेता को रखरखाव के तहत साइट की डिजिटल तस्वीर के साथ एएमसी रिपोर्ट प्रदान करनी होगी। वार्षिक रखरखाव अनुबंध राशि प्रत्येक शाखा के लिए रिपोर्ट के साथ विक्रेता की मांग पर संबंधित तिमाही के पूरा होने के बाद समान तिमाही किश्तों में देय होगी। 6. अनुबंध की समाप्ति पर, विक्रेता को एएमसी राशि के भुगतान का दावा करने से पहले प्रत्येक शाखा से लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी कि एएमसी के तहत यूपीएस काम करने योग्य, उपयोग करने योग्य और संतोषजनक स्थिति में हैं।

चयनित विक्रेताओं को एएमसी प्रदान करते समय सहमत एएमसी राशि, दृढ़ और निश्चित होगी और





अनुबंध के निष्पादन के दौरान और अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी कारण से समायोजन के अधीन नहीं होगी, जिसमें विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और/या कीमतों में किसी भी प्रकार की वृद्धि शामिल है। अनुबंधित एएमसी राशि अनुबंध संबंधी दायित्वों के पूर्ण और उचित प्रदर्शन के लिए विक्रेता को देय है। एएमसी राशि में कोई वृद्धि (लागत व्यय आदि में वृद्धि के कारण) की अनुमति नहीं है। इस संबंध में विक्रेताओं को पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बोलीदाताओं/विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे वह राशि उद्धृत करें जिसमें सभी कर शामिल नहीं हैं। फॉर्म-1 में दी गई तालिका में अलग से लागू करों को निर्दिष्ट करें। कोई अन्य कर, व्यय और शुल्क देय नहीं हैं। निविदा को करों को छोड़कर उद्धृत राशि के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

9. विक्रेता/आपूर्तिकर्ता उक्त ए.एम.सी. के अंतर्गत अन्य को उप-अनुबंध नहीं दे सकता। यदि परिस्थिति की आवश्यकता हो, तो आपूर्तिकर्ता/विक्रेता अनुबंध के अंतर्गत दिए गए सभी उप-अनुबंधों के बारे में बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा। ऐसी अधिसूचना आपूर्तिकर्ता/विक्रेता को ए.एम.सी. के अंतर्गत किसी भी दायित्व और/या दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। उप-अनुबंध केवल खरीदे गए आइटम और उप-असेंबली के लिए होगा। उप-अनुबंधों को ए.एम.सी. की शर्तों के प्रावधानों का पालन करना होगा। उक्त ए.एम.सी. की अवधि के दौरान विक्रेता द्वारा निवारक रखरखाव सेवाओं सहित निःशुल्क रखरखाव सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। सभी मामलों में, विक्रेता हमारी शाखाओं और कार्यालयों से कॉल प्राप्त करने और उनका उत्तर देने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

#### धारा VII: तकनीकी विनिर्देश और गुणवत्ता आश्वासन

10. विक्रेता अनुबंध के अनुसार सभी अनुबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है और बाध्य है, जिसमें अत्याधुनिक तरीकों और आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाएगा और अनुबंध में निर्दिष्ट प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाएगा। विक्रेता बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने, अपने अधिकार के भीतर काम करने और बैंक द्वारा जारी निर्देशों और कार्यान्वयन गतिविधियों का पालन करने के लिए बाध्य है। विक्रेता भारत में प्रचलित नौकरी सुरक्षा उपायों का पालन करेगा और बैंक को दुर्घटनाओं या जीवन की हानि से उत्पन्न होने वाली सभी मांगों और/या जिम्मेदारियों से मुक्त करेगा, जिसका कारण एएमसी का प्रदर्शन है। विक्रेता ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली सभी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा और बैंक को जिम्मेदार या बाध्य नहीं करेगा। विक्रेता अपने कर्मियों या उप-अनुबंधित कर्मियों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और किसी भी दुर्व्यवहार के लिए खुद को जिम्मेदार मानेगा। विक्रेता अपनी जिम्मेदारियों के निष्पादन में प्राप्त बैंक के बारे में सभी डेटा और जानकारी को गोपनीय रखेगा, सख्त गोपनीयता में और बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य पक्ष को ऐसी जानकारी नहीं बताएगा। 11. ए.एम.सी. को बैंक द्वारा कम से कम एक महीने के नोटिस के साथ समाप्त किया जा सकता है और ए.एम.सी. राशि/मूल्य का भुगतान अनुबंध के अस्तित्व की अवधि के लिए आनुपातिक रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक किसी भी समय विक्रेता को लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है यदि विक्रेता दिवालिया हो जाता है या अन्यथा दिवालिया हो जाता है और ए.एम.सी. के तहत सहमत रखरखाव सेवाएं प्रदान नहीं करता है। इस स्थिति में समाप्ति विक्रेता को मुआवजा दिए बिना होगी, बशर्ते कि ऐसी समाप्ति बैंक को प्राप्त हुई या उसके बाद प्राप्त होने वाली किसी भी कार्रवाई या उपाय के अधिकार को प्रभावित या प्रभावित न करे।

12. अनुबंध की शर्तों और नियमों के प्रावधान के बावजूद, विक्रेता परिसमाप्त क्षति, चूक के लिए समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, इस सीमा तक कि अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में देरी या अन्य विफलता विक्रेता के नियंत्रण से परे किसी घटना का परिणाम है और इसमें विक्रेता की गलती या लापरवाही शामिल नहीं है और पूर्वानुमानित नहीं है। ऐसी घटनाओं में बैंक की संप्रभुता में की गई कार्रवाई, युद्ध या क्रांति, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं हैं। इन अप्रत्याशित घटनाओं/परिस्थितियों के मामले में, विक्रेता बैंक को लिखित रूप में ऐसी स्थिति और उसके कारण के बारे में सूचित करेगा। जब तक बैंक द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, विक्रेता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को यथासंभव उचित रूप से पूरा करना





जारी रखेगा और उपर्युक्त अप्रत्याशित घटनाओं द्वारा बाधित न होने वाले प्रदर्शन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा।

13. प्रत्येक प्रस्ताव में केवल एक ही समाधान निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जो कि लागत प्रभावी हो और निविदा विनिर्देशों को पूरा करता हो और इसमें विकल्प शामिल नहीं होने चाहिए। उद्धृत मूल्य में सभी शुल्क और लागतें शामिल होनी चाहिए, साथ ही करों का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए। बोली को करों को छोड़कर उद्धृत मूल्य के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। स्वीकृत मूल्य अनुबंध (एएमसी) के पुरस्कार की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगा। बैंक अपने विवेकानुसार तथा आवश्यकतानुसार विक्रेताओं से एक या दो कोटेशन चुन सकता है, जैसे - किसी विक्रेता से 2 केवीए बोली तथा किसी अन्य विक्रेता से 3 केवीए बोली स्वीकार कर सकता है तथा/या एक विक्रेता से एक मेक यूपीएस तथा उसमें बैटरी सहित अन्य मेक यूपीएस तथा किसी अन्य विक्रेता से बैटरी सहित अन्य मेक यूपीएस स्वीकार कर सकता है तथा/या बैंक किसी भी एक विक्रेता को एएमसी प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उसे लगता है कि सभी प्रकार के यूपीएस के लिए कुल उद्धृत दरें (सारांशित) कम हैं तथा बैंक के लिए किफायती हैं। बैंक अपने विवेकानुसार, बोली मूल्य, पिछले अनुभव तथा विक्रेताओं की प्रतिष्ठा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए विक्रेताओं को वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रदान कर सकता है। बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

14. अनुबंध की व्याख्या भारत संघ के कानूनों के अनुसार की जाएगी तथा बोलीदाता उन न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए सहमत होगा, जिनके अनन्य क्षेत्राधिकार में बैंक का बारिपदा आंचलिक कार्यालय आता है। शासकीय भाषा अंग्रेजी होगी।

15. विक्रेताओं/बोलीदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी हस्ताक्षरकर्ता अनिवार्य रूप से केवाईसी मानदंडों को पूरा करेंगे। उन्हें पासपोर्ट आकार की तस्वीर, पहचान पत्र (पैन कार्ड/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस) और नवीनतम पते का प्रमाण जैसे सभी केवाईसी फॉर्म जमा करने चाहिए।

16. बोलीदाताओं का कोटेशन/बोली/प्रस्ताव ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। यूपीएस और बैटरियों के एएमसी के लिए निविदा के लिए मूल्य कोटेशन/बोली का प्रस्ताव और प्रस्तुत करके, विक्रेता अनुबंध की सभी शर्तों और ऊपर उल्लिखित से सहमत हैं।

मुहर और नाम सहित, बोलीदाता के हस्ताक्षर  
(नियम और शर्तों को पढ़ने और स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)



## सेवा में कमी के लिए दंड-

### विवरण

यदि विक्रेता शिकायत के एक दिन (24 घंटे) के भीतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक इसके लिए विक्रेता@1000/दिन की दर से मुआवज़ा मांग सकता है।

यदि अनुबंध के तहत कोई भी यूपीएस विक्रेता द्वारा शिकायत (टेलीफोन कॉल या लिखित) प्राप्त करने के बाद दो दिनों से अधिक की अवधि के लिए अनुपलब्ध रहता है, तो विक्रेता की एएमसी राशि से 1000/- रुपये प्रतिदिन की राशि काट ली जाएगी।

कॉल-कोऑर्डिनेटर को प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक जोनल ऑफिस आईटी विभाग को सभी इंजीनियरों के विजिट शेड्यूल की जानकारी ईमेल के माध्यम से देनी होगी। ऐसा न करने पर प्रतिदिन 400 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

यूपीएस इंजीनियर को उस दिन की सभी कॉल रिपोर्ट की स्कैन की हुई कॉपी उसी दिन जोनल ऑफिस आईटी विभाग को भेजनी होगी, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो प्रति इंजीनियर प्रतिदिन 400 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

हमारी साइट पर तैनात इंजीनियर के छुट्टी पर जाने/अनुपस्थित होने की स्थिति में, विक्रेता को उसी दिन उपयुक्त प्रतिस्थापन की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि विक्रेता ऐसा करने में विफल रहता है, तो प्रति इंजीनियर 500/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।

कॉल समन्वयक को पिछले कार्य दिवस तक एक्सेल फ़ाइल में कॉल रिपोर्ट का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और इसे दैनिक आधार पर जोनल कार्यालय, आयकर विभाग को ईमेल द्वारा सूचित करना होगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उस पर प्रतिदिन 100/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रत्येक कॉल लॉग के लिए एक कॉल आईडी बनानी होगी। दिन में लॉग की गई प्रत्येक कॉल का सारांश कॉल समन्वयक द्वारा क्षेत्रीय आईटी विभाग को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यदि कॉल आईडी नहीं बनाई जाती है तो प्रति कॉल 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

## 12. इस अनुबंध की समाप्ति:

कोई भी पक्ष अनुबंध को समाप्त कर सकता है:

- लिखित में एक महीने का नोटिस देकर।
- यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन या गैर-प्रदर्शन होता है।
- किसी भी पक्ष के दिवालिया होने या परिसमापन की स्थिति में।
- यदि विक्रेता को किसी सार्वजनिक उपक्रम या सरकारी निकाय द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जाता है।
- यदि कई अवसरों पर सेवा का स्तर अपेक्षाओं से कम हो जाता है।

यदि विक्रेता पुरस्कार के बाद पीछे हटता है:

• ईएमसी जप्त कर ली जाएगी

• विक्रेता को बैंक के साथ भविष्य के अनुबंधों से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।





प्रस्ताव प्रपत्र (मूल्य बोली/कोटेशन) प्रपत्र-1

आंचलिक प्रबंधक  
बैंक ऑफ इंडिया,  
आंचलिक कार्यालय  
बारीपदा

महोदय,

**संदर्भ: बारीपदा अंचल में कार्यालयों/शाखाओं में स्थापित यूपीएस के एएमसी के लिए निविदा बोली का प्रस्ताव**  
आपके निविदा नोटिस और दस्तावेजों की जांच करने के बाद, जिसकी प्राप्ति विधिवत स्वीकार की जाती है, हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, बारीपदा अंचल में आपके बैंक के आंचलिक कार्यालय और विभिन्न कार्यालयों में स्थापित यूपीएस के रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के संबंध में, नीचे उल्लिखित राशि या निविदा प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जा सकने वाली अन्य राशि के लिए, उक्त निविदा दस्तावेजों के अनुरूप, आपके निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रणालियों को वार्षिक रखरखाव सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं।

क्रमांक	यूपीएस मॉडल	क्षमता (कै. वा. ए.)	मात्र	एएमसी दर प्रति यूनिट	जोएसटी	कुल एएमसी राशि
1	एपीएलएबी	3	17			
2	एपीएलएबी	5	15			
3	एमसन/वाटव	3	58			
4	एमसन/वाटव	6	5			
5	एमसन/वाटव	10	1			
	कुल		96			

यदि हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम आपके निविदा दस्तावेजों के अनुसार निर्बाध रखरखाव सेवाएं प्रदान करने का वचन देते हैं। हम बैंक द्वारा दिए गए आदेशों के लिए प्रस्ताव और उसमें उल्लिखित दरों का पालन करने के लिए सहमत हैं। जब तक एक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक यह प्रस्ताव, आपकी लिखित स्वीकृति और पुरस्कार की आपकी अधिसूचना के साथ, हमारे बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगा।

हम वचन देते हैं कि, उपरोक्त अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय (और, यदि हमें पुरस्कार दिया जाता है, तो निष्पादन में), हम भारत में लागू धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों का सख्ती से पालन करेंगे, अर्थात् "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988"।

हम समझते हैं कि आप सबसे कम या किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

दिनांक ..... दिन ..... 2025.

(हस्ताक्षर और मुहर) (की क्षमता में) प्रस्ताव/बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत और की ओर से

..... संपर्क संख्या: .....

..... कृपया विक्रेता फर्मों/कंपनियों के हस्ताक्षरकर्ताओं और सक्षम प्राधिकारियों के केवाईसी फॉर्म अनिवार्य रूप से संलग्न करें। (केवाईसी फॉर्म- फोटो- पैन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर आईडी/नवीनतम पते का प्रमाण)



सेवा समर्थन विवरण

फॉर्म-2

सेवा में,  
आंचलिक प्रबंधक  
बैंक ऑफ इंडिया  
आंचलिक कार्यालय  
बारीपदा अंचल

महोदय,

**संदर्भ: बारीपदा क्षेत्र में कार्यालयों/शाखाओं में स्थापित यूपीएस की एएमसी के लिए निविदा बोली का प्रस्ताव**

सेवा समर्थन विवरण इस प्रकार है:

स्थान	इंजीनियर का नाम	सेवा सहायता कार्यालय का पता टेलीफोन नम्बर सहित	चाहे स्वयं की शाखा हो या मताधिकार का	स्थान पर नियुक्त प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या	स्थान पर हर समय उपलब्ध स्पेस के न्यूनतम स्टॉक का विवरण और मूल्य

भवदीय,

हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

विक्रेता/फर्म/कंपनी/निर्माता का नाम:

संपर्क नंबर: .....

कृपया विक्रेता फर्म/कंपनियों के हस्ताक्षरकर्ताओं और सक्षम प्राधिकारियों के केवाईसी फॉर्म अनिवार्य रूप से संलग्न करें। (केवाईसी फॉर्म - फोटो - पैन कार्ड/आधार कार्ड/नवीनतम/पता प्रमाण)





**अनुलग्नक-I**

बारीपदा अंचल के अंतर्गत शाखाएँ निम्नानुसार हैं।

क्र. सं.	शाखा	ज़िला	क्र. सं.	शाखा	ज़िला
1	अखुआपदा	भद्रक	37	कदाबरंग	भद्रक
2	अनला	मयूरभंज	38	कलमा	मयूरभंज
3	बच्छुरिपाल	मयूरभंज	39	कपटीपदा	मयूरभंज
4	बड़ा दलिमा	मयूरभंज	40	करंजिया	मयूरभंज
5	बड़ाब्राह्मणमारा	मयूरभंज	41	खुंटा	मयूरभंज
6	बादामपहाड़	मयूरभंज	42	कोष्ठा	मयूरभंज
7	बहल्दा	मयूरभंज	43	कृष्णचंद्रपुर	मयूरभंज
8	बैसिंगा	मयूरभंज	44	कुलियाणा	मयूरभंज
9	बालेश्वर	बालेश्वर	45	मनत्री	मयूरभंज
10	बलियापाल	बालेश्वर	46	मुर्गाबाड़ी	मयूरभंज
11	बांगरीपोसी	मयूरभंज	47	उत्तर उड़ीसा विश्वविद्यालय	मयूरभंज
12	बारिपदा	मयूरभंज	48	नुआगन	मयूरभंज
13	बरसही	मयूरभंज	49	पढिया	मयूरभंज
14	बस्ता	बालेश्वर	50	पोडा आस्टिया	मयूरभंज
15	बेतनोटी	मयूरभंज	51	पुरुना बारिपदा	मयूरभंज
16	भद्रक	भद्रक	52	रायरंगपुर	मयूरभंज
17	बिजतला	मयूरभंज	53	रांदिया	भद्रक
18	बिसोई	मयूरभंज	54	रंगामाटिया	मयूरभंज
19	ब्रुंदाबनचंद्रपुर	मयूरभंज	55	रारूआन	मयूरभंज
20	चटानी	मयूरभंज	56	रेमुना	बालेश्वर
21	चिंचलगाडिया	मयूरभंज	57	सिमलीपाल	मयूरभंज
22	चित्रदा	मयूरभंज	58	सिप्स कैम्पस	मयूरभंज
27	दौलतपुर	भद्रक	59	शिर्षा	मयूरभंज
24	धामरा	भद्रक	60	सोरो	बालेश्वर
25	दिघी	मयूरभंज	61	स्टेशन बाजार (बारिपदा)	मयूरभंज
26	डुकुरा	मयूरभंज	62	सुकरुली	मयूरभंज
27	गणेशपुर(जानुगंज)	बालेश्वर	63	सुलियापदा	मयूरभंज
28	गोरुमहिसनी	मयूरभंज	64	तम्बाखुरी	मयूरभंज
29	ईचिंदा	मयूरभंज	65	ठाकुरमुंडा	मयूरभंज
30	आईटीआई चौक	बालेश्वर	66	तुड़िगरिया	बालेश्वर
31	जालेश्वर	बालेश्वर	67	उदला	मयूरभंज
32	जामदा	मयूरभंज	68	नीलागिरि	बालेश्वर
33	जामसोला	मयूरभंज	69	भोगराई	बालेश्वर
34	जशीपुर	मयूरभंज	70	बासुदेवपुर	भद्रक
35	झरिया(क्योंझर)	मयूरभंज	71	आंचलिक कार्यालय	मयूरभंज
36	झिमकिरिया	मयूरभंज	72	एसएमईयूसी बालेश्वर	बालेश्वर





हमारा जोन निम्नलिखित 3 जिलों तक आच्छादित है: -

01 बालेश्वर

02 . मयूरभंज

03 . भद्रक

भाग लेने से पहले उपरोक्त स्थान के लिए जनशक्ति की जांच करें ताकि बैंकिंग सेवा बाधित न हो।

